प्रेस नोट
दिनांक 12.09.2026

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा कजरीतीज पर्व को सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में जनपदीय पुलिस/बाहरी जनपदों से आए पुलिस बल को किया गया ब्रीफ, सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश -

गोण्डा। आज दिनांक 12.09.2026 को जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा कजरी तीज पर्व को सकुशल ढंस से सम्पन्न कराने हेतु ड्यूटी पर लगे अधिकारी/कर्मचारीगणों के साथ रिवर्ज पुलिस लाइन गोण्डा में ब्रीफिंग कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा सभी अधिकारी/कर्मचारीगणों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष कजरी तीज का पर्व जनपद गोण्डा में दिनांक 13/14.09.2026 को मनाया जायेगा। इस पर्व के अवसर पर जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा अन्य सीमावर्ती जनपदों बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती एवं अयोध्या के दूरस्थ क्षेत्रों से अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु कॉवडियों के रूप में सरयू घाट से स्नान कर जल लेकर लखनऊ-गोण्डा मार्ग से होते हुए थाना क्षेत्र कर्नलगंज के बरखण्डी नाथ मंदिर, थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत पृथ्वीनाथ मंदिर तथा को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुःखहरण नाथ मंदिर आदि पर जलाभिषेक करेंगें। इस पर्व की संवेदनशीलता एवं कॉवडियों की काफी संख्या में भीड़ को देखते हुए जनपद के प्रमुख स्थानों पर पुलिस प्रबन्ध किए गए है। महोदय द्वारा बताया गया कि सभी जोनल/सेक्टर पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर ड्यूटी में लगाये गये पुलिस बल की समीक्षा कर उनकी स्वविवेक से समुचित स्थानों पर आवश्यक ड्यूटी लगाकर उनके कर्तव्यों के बारे में भली-भांति ब्रीफ करते हुए कजरीतीज पर्व को सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगें। उक्त पर्व के अवसर पर ड्यूटी पर लगें सभी प्र0नि0/निरीक्षक/थानाध्यक्ष सम्बन्धित जोनल पुलिस अधिकारी/सेक्टर पुलिस अधिकारी के दिशा-निर्देशों में कार्य करेंगे साथ ही अपने-अपने अभिदिष्ट क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर शांति एवं कानून व्यवस्था बनायें रखना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी पर लगे सभी प्र0नि0/थानाध्यक्ष पर्याप्त संख्या में हमराह कर्मियों सहित रस्सा, लाउडहेलर, एण्टीराइट गन आदि के साथ ही ड्यूटी में रवाना होंगे। महोदय द्वारा आर0आई0 रेडियों को निर्देशित किया गया कि सूचनाओं के त्वरित अदान प्रदान हेतु समस्त वायरलेस सेटों को चेक करा लेंगे तथा बैट्री आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। समस्त सीसीटीवी कण्ट्रोल रूम प्रभारी मंदिर के अन्दर व परिसर की गतिविधियों पर एक साथ सतर्क दृष्टि बनायें रखेंगें। महोदय द्वारा स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय रहकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचनाओं की जानकारी करने तथा सोशल मीडिया सेल को विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए तत्काल उसका प्रभावी खण्डन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि कजरी तीज पर्व में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है जिसका फायदा उठाकर अवांछनीय तत्व छेड़खानी करने तथा चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं को कारित करते है ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु एण्टीरोमीयों टीम सादे वर्दी मे भ्रमणशील रहकर अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाये रखेंगी। मुख्य स्थानों तथा सरयू घाट के दोनो घाटों से 250 मीटर की दूरी तक तथा मन्दिरों से 250 मीटर की दूरी तक कोई दुकाने नही लगेंगी तथा सम्बन्धित अधिकारी इसे सुनिश्चित करेगें कि श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे। प्रत्येक जगह

पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों से निगरानी व संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जायें। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा कजरी तीज पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किए गए है । सम्पूर्ण पुलिस प्रबन्ध में जनपदीय व गैरजनपदीय के 05 अपर पुलिस अधीक्षक, 16 पुलिस उपाधीक्षक, 51 प्र0नि0/थानाध्यक्ष/निरीक्षक सहित पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगायी गयी है। **इसके अतिरिक्त पी0ए0सी0, डायल 112 के पीआरवी वाहन, जल पुलिस/गोताखोर, अग्निशमन पुलिस, डाग स्क्वाडय, फिल्ड यूनिट व स्वाट टीम** को भी लगाया गया है तथा 03 क्यूआरटी का गठन किया गया है। आकस्मिक प्रकाश व्यवस्थापन हेतु ड्रेगन लाइट की व्यवस्था की गयी है। महिला श्रद्धालुओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों/चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु 04 एण्टीरोमियों टीम का गठन किया गया है। सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान हेतु सब कण्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है जिसके प्रभारी आर0आई0 रेडियों गोण्डा होंगे। मंदिरों पर सी0सी0टी0वी से निगरानी हेतु सी0सीटी0वी0 कण्ट्रोलरूम की स्थापना की गयी है। जोनल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के व सेक्टर प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगायी गयी है। पूर्वी क्षेत्र के सम्पूर्ण पुलिस प्रबन्ध के प्रभारी अधिकारी श्री अजीत कुमार रजक अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा व पश्चिमी क्षेत्र के सम्पूर्ण पुलिस प्रबन्ध के प्रभारी अधिकारी श्री राधेश्याम राय अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गोण्डा को बनाया गया है।

इस अवसर पर ड्यूटी पर लगे जनपदीय/बाहरी जनपद से आये हुए राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.09.2026

कजरी तीज पर्व के दृष्टिगत मण्डलायुक्त गोण्डा, पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, जिलाधिकारी गोण्डा एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सरयू घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

गोण्डा। आज दिनांक 12.09.2026 को आगामी कजरी तीज पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा सरयू घाट एवं प्रमुख मंदिरों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मण्डलायुक्त गोण्डा श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र श्री अशोक कुमार, जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा सरयू घाट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा सरयू घाट पर की गई बैरिकेडिंग, बैरियर, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, घाट पर सुरक्षा प्रबन्ध, गोताखोरों की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्व पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित कर ली जाएं। कजरी तीज पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा सरयू घाट पर जल भरने के उपरान्त थाना करनैलगंज क्षेत्रान्तर्गत बरखण्डी नाथ मंदिर, थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत पृथ्वीनाथ मंदिर एवं कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुःखहरण नाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक किया जाता है। इस दौरान कांवड़ यात्रा एवं शोभायात्राओं में जनपद सहित आसपास के जनपदों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना को देखते हुए सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सरयू घाट एवं प्रमुख मंदिर परिसरों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, गोताखोर दल की उपलब्धता तथा एंटी रॉयट ड्रोन टीम की तैनाती/उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग तथा वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं पुलिस बल को श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण हेतु माइक/पीए सिस्टम का प्रभावी उपयोग करने तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं तत्पर रहने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि कजरी तीज पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर सतर्क रहकर व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी करेंगे तथा आवश्यकता के अनुसार मौके पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.09.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाही—

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 843/2026, धारा 109(1), 115(2), 118(2) बीएनएस से सम्बन्धित जानलेवा हमला करने के वांछित 01 अभियुक्त दीपक मिश्रा उर्फ वकील पुत्र सुरेश मिश्रा को वर्मा तिराहा तिवारी बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2026 को वादी राजेश कुमार मौर्या पुत्र कर्ताराम मौर्या निवासी ग्राम खिराभा(लम्बरदारपुरवा) थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई कि उनका भाई अपनी दुकान बन्द करके दिनांक 08.09.2026 को घर आ रहा था कि विपक्षीगण अपने हाथो में लोहे का राड तथा डण्डा लेकर आये और मार पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिए। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक 12.09.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त दीपक मिश्रा उर्फ वकील पुत्र सुरेश मिश्रा को वर्मा तिराहा तिवारी बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दीपक मिश्रा उर्फ वकील पुत्र सुरेश मिश्रा निवासी ग्राम पचपेड़वा झंझरी थाना कोतवाली नगर जनपद-गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 843/2026, धारा 109(1), 115(2), 118(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 विभव तिवारी
02. का0 पंकज कुमार
03. अफजल अहमद

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.09.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 866/26 धारा 115(2), 105 बीएनएस 3(2) (V) एसटी एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामअनुज पांडे उर्फ मुंजे पांडे पुत्र स्व0 रामअचल पांडे को मोफिया मलारी नहर पुल से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राजमन कोरी पुत्र रमेश कोरी निवासी विशुनपुर बैरिया थाना को0देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0देहात पर सूचना दिया कि उनके पिता रमेश कोरी द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व गन्ने के बीज हेतु दिए गए ₹1,500 वापस मांगने पर विशुनपुर बैरिया चौराहा गलौज करते हुए डण्डे से उनके सिर पर प्रहार किया गया। बचाव के-के पास राम अनुज पाण्डेय द्वारा गाली (डीह) दौरान डण्डा सिर के पिछले हिस्से में लगने से रमेश कोरी लड़खड़ाकर गिर गए। उन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गय। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 12.09.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त - रामअनुज पांडे उर्फ मुंजे पांडे पुत्र स्व0 रामअचल पांडे को मोफिया मलारी नहर पुल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामअनुज पांडे उर्फ मुंजे पांडे पुत्र स्वर्गीय राम अचल पांडे निवासी पकड़ी कैशवार थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 866/26 धारा 115(2), 105 बीएनएस 3(2) (V) एसटी एसटी एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सावन सिंह
02. का0 कलीम अली जैदी
03. का0 नरेन्द्र यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.11.2026

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं विद्वेषपूर्ण सामग्री के प्रसारण के संबंध में गोण्डा पुलिस की अपील एवं चेतावनी

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किसी **जाति, समुदाय अथवा वर्ग विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक, भड़काऊ, विद्वेषपूर्ण अथवा सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री** पोस्ट, शेयर, फॉरवर्ड अथवा प्रसारित न करें।

सोशल मीडिया मानिटरिंग सेन्टर द्वारा सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफॉर्मो पर सतत निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर **भड़काऊ, आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा विद्वेष उत्पन्न करने वाली सामग्री** का प्रसार कर सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर **प्रचलित विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही** की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी अपुष्ट अथवा भड़काऊ सूचना को सत्यापित किए बिना प्रसारित न करें तथा **शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।**

मीडिया सेल, गोण्डा।